न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या –14/2020

1. श्योराम पुत्र श्री लालूराम
2. पूसाराम पुत्र श्री लालूराम
3. गिरधारी पुत्र श्री श्रवण
4. करतार पुत्र श्री रामेश्वर

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भोजियावास तहसील किशनगढ जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

श्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल पुत्र श्री देबी जाति मेहतर, निवासी ग्राम भोजियावास तहसील किशनगढ जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामदेव गुर्जर — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध तहसीलदार किशनगढ़ निर्णय दिनांक 25.09.2020 जो कि प्रकरण संख्या 01/2020 में पारित किया

आदेश

दिनांक –25.06.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम भोजियावास बाबत् तहसीलदार किशनगढ के समक्ष अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। तहसीलदार किशनगढ ने बिना अपीलांट्स को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये एक पक्षीय रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर दिनांक 25.09.2020 को रेस्पोडेन्ट/विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट नें अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम भोजियावास बाबत्

जिला कलक्टर
अजमेर

तहसीलदार किशनगढ के समक्ष अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। तहसीलदार किशनगढ ने बिना अपीलांट्स को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये एक पक्षीय रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर दिनांक 25.09.2020 को रेस्पोडेन्ट/विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की। तहसीलदार किशनगढ के समक्ष विपक्षी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 19.08.2020 को अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् दिनांक 11.9.2020 को जवाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान कर दिया गया, इसके पश्चात दिनांक 25.09.2020 को अपीलांट्स अप्रार्थीगण को बिना सुने एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जवाब के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अवसर ही अंतिम अवसर के रूप में प्रदान किया गया जबकि अवसर देने के पश्चात कोस्ट पर भी जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण में जवाब का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही, बिना जवाब लिये, बिना अपीलांट्स की सुनवाई किये निर्णय पारित किया गया है जिससे तहसीलदार, किशनगढ द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जवाब हेतु कोस्ट पर अवसर प्रदान किया जाना माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई प्रतिपादित सिद्धान्तों में पारित किया गया है प्रस्तुत प्रकरण में केवल मात्र दो अवसर प्रदान कर ही बिना जवाब लिये एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया। जबाब हेतु तीन अवसर प्रदान करने के पश्चात् अंतिम अवसर प्रदान किया जाना चाहिए एवं तत्पश्चात भी जवाब के लिए कोस्ट पर जवाब लेने बाबत आदेश प्रदान किये जाने चाहिए। यह सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रतिपादित सिद्धान्तों में पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में इन सभी प्रतिपादित सिद्धान्तों को नजर अन्दाज कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर तहसीलदार किशनगढ ने अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो निरस्त योग्य है, दिनांक 25.09.2020 को अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है जबकि उस दिन पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी। उक्त बिन्दु पर गौर न कर उसी दिन अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर तहसीलदार किशनगढ ने भारी भूल की है। दिनांक 25.09.2020 को अपीलांट्स के अभिभाषक जवाब तैयार करा कर न्यायालय में पहुँचे तब निर्णय पारित कर दिया गया। यदि अपीलांटस/अप्रार्थीगण को एक भी अवसर और प्रदान किया जाता तो अपीलांटस/अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत कर पाते एवं अपने प्रकरण की समुचित पैरवी कर पाते। न्यायहित में अपीलांट्स को जवाब हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स करीब 40–45 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपीलांट्स का कब्जा 40–45 वर्षो से होने से एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा 12 वर्ष के भीतर वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने से रेस्पोडेन्ट के अधिकार विधिक रूप से समाप्त हो चुके है। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर तहसीलदार किशनगढ ने अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी भूल की है। विपक्षी के आवंटन के पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है जैसा कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29.07.2020 से भी यह स्पष्ट है अतः अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा आवंटन से पूर्व से ही चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट्स का कब्जा काफी पुराना होने से एवं आवंटन के पूर्व से

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

होने से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से इसी बिन्दु पर निरस्त योग्य था। रेस्पोडेन्ट/विपक्षी यह कतई साबित नहीं कर पाये कि आवंटन के समय उनका कब्जा काश्त रहा हो या आवंटन के पश्चात वह कभी वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहा हो। जब विपक्षी ने उक्त बिन्दु को कतई सिद्ध नहीं किया जिस कारण विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय ही नहीं था एवं काबिल निरस्त योग्य था। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2020 को निरस्त फरमायी जावे। वकील अपीलांट ने अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टांत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का निगरानी/टीए/132/13/जोधपुर बउनवान प्रेमराज बनाम शिवदान निर्णय दिनांक 13.02.2020 पेश किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 नें अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स तहसीलदार किशनगढ के समक्ष जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.8.2020 को उपस्थित आ गये जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया गया। दिनांक 25.09.2020 को भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की गैर खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भोजियावास पटवार हल्का भोजियावास तहसील किशनगढ में स्थित जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 280 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा भूमि है। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की गैर खातेदारी दर्ज है एवं रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी निम्न जाति का व्यक्ति है जो अपने व अपने परिवार का लालन–पोषण उपरोक्त आराजीयात से करता है एवं उपरोक्त आराजीयात एक मात्र आय अर्जन का साधन है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं अपीलांट सामान्य (स्वर्ण) जाति के व्यक्ति है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि पर कोई स्वर्ण व्यक्ति अतिचार, अतिक्रमण जानबुझ कर करता है तो इस धारा के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के कृषक को अधिकार प्रद्वत्त किये गये है। अनुसूचित जाति के सदस्य की विवादित भूमि पर अपीलार्थी के द्वारा बिना किसी आधार अधिकार के अतिक्रमण किया गया इस पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट भंवरिया उर्फ भंवरलाल के द्वारा अपीलार्थी जो अतिक्रमी है को बेदखल किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलार्थी जो कि अतिक्रमी है कि जिसे अपीलाधीन भूमि से बेदखल किए जाने बाबत आदेश दिनांक 25.09.2020 को पारित किया गया कि जिसके विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट भी तलब की गई, मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2020 से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि जो कि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का सदस्य की खातेदारी की कृषि भूमि है, अपीलार्थी के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया कि इस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, उक्त अपील विधि के प्रतिकूल एवं धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के भी प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी अतिक्रमी है, धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि समरी प्रोसेडिंग कार्यवाही है,

जिला कलक्टर
अजमेर

इस सन्दर्भ में दोनो पक्षो को समुचित अवसर दिए गए जो कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से प्रमाणित है, अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील विधि से वर्जित है। धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण कानूनन अवैध है, हस्तान्तरण ही नहीं की जा सकती, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो के पक्ष में किया गया विकय संविदा या विकय शून्य है एवं कानूनन प्रवृत्तीय नहीं, परन्तु आशय अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यो के हितो की सुरक्षा करना है, इस प्रकार अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि पर अपीलार्थी जो अतिकमी था कि जिसे धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बेदखल किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलांन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार किशनगढ ने बिना अपीलांट्स को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये एक पक्षीय रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर दिनांक 25.09.2020 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की। साथ ही कथन किया कि तहसीलदार किशनगढ के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 19.08.2020 को अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् दिनांक 11.09.2020 को जवाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान कर दिया गया, इसके पश्चात दिनांक 25.09.2020 को अपीलांट्स अप्रार्थीगण को बिना सुने एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित अवसर प्रदान किया गया, अपीलान्ट अतिकमी है। अपीलांट मात्र अतिकमी है जिसको अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि पर कब्जा बनाये रखने का कतई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं करवाये गये है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हों।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2020 न्यायोचित प्रतीत होने से इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर